न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 276 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 439

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1.चम्पत सिंह पुत्र चनणा उर्फ चनणसिंह

2.वीरमसिंह पुत्र चनणा उर्फ चनणसिंह

3.शान्तिदेवी पत्नि चनणा उर्फ चनणसिंह

4.हड़मतसिंह पुत्र चनणा उर्फ चनणसिंह जाति राजपूत

निवासी रिकरलाई

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.अनोपसिंह पुत्र धूंकसिंह

2.चिमनसिंह पुत्र धूंकसिंह

3.बसनीकंवर पत्नी धूंकसिंह

4.हुकमसिंह पुत्र धूंकसिंह फौत के वारिसान

4/1.किशनसिंह पुत्र हुकमसिंह

4/2.भवानीसिंह पुत्र हुकमसिंह

4/3.लखुकंवर बेवा हुकमसिंह

4/4.मंजुकंवर पुत्री हुकमसिंह

4/5.प्रियंका कंवर पुत्री हुकमसिंह

जाति राजपूत निवासी सिणली जागीर

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

5.अणची पुत्री वेहनाराम

6.आईदान पुत्र वेहनाराम

7.खेताराम पुत्र मंगलाराम

8.जेठाराम पुत्र मंगलाराम

9.रूगाराम पुत्र वेहनाराम

जाति जाट निवासी सारणों का तला जोगासर

10.अनोपसिंह पुत्र डूंगरसिंह

11.अभयसिंह पुत्र चंदनसिंह

12.अमरसिंह पुत्र खंगार सिंह

13.गजेन्द्र सिंह पुत्र भीमसिंह

14.गणपतसिंह पुत्र खंगारसिंह

15.जेठुसिंह पुत्र पहाड़सिंह

16.जालमसिंह पुत्र रूघसिंह

17.थानसिंह पुत्र हीरसिंह

18.देवीसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह

19.देवीसिंह पुत्र राणसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) ✱ बालोतरा ✱

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.)
* बालोतरा *

20.धापुकंवर पत्नी हीरसिंह

21.नारायणसिंह पुत्र भैरूसिंह

22.नारायणसिंह पुत्र किशोरसिंह

23.पप्पुकंवर पत्नी भीमसिंह

24.प्रदीपसिंह पुत्र भीमसिंह

25.बबरविर पत्नी डूंगरसिंह

26.बाबुसिंह पुत्र माधूसिंह

27.भगवतसिंह पुत्र जबरसिंह

28.भवानीसिंह पुत्र किशोर सिंह

29.मूलसिंह पुत्र डूंगरसिंह

30.राजकंवर पत्नी आंबसिंह

31.वनेसिंह पुत्र माधुसिंह

32.वीरसिंह पुत्र भेरूसिंह

33.श्रवणसिंह पुत्र डूंगरसिंह

34.शेलकंवर पत्नी जबरसिंह

35.सिरेकंवर पत्नी भूरसिंह

36.हनवंतसिंह पुत्र हीरसिंह
जाति राजपूत निवासी मेवानगर
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

37.बाबूलाल पुत्र मिश्रीमल
जाति पालीवाल
निवासी रामसिन
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

38.आम्बाराम पुत्र पूनमाराम
जाति भील निवासी रिकरलाई
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

39.नारंगी पत्नी श्रवण कुमार जाति

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

गवारिया

40.मांगाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल

41.माना पुत्र जेसाराम

जाति मेघवाल

निवासी सिणली चौसीरा

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

42.उत्तमसिंह पुत्र खीमा

43.जसराज पुत्र खीमा

44.देवीसिंह पुत्र खीमा

45.दौली पत्नी खीमा

46.सावंलसिंह पुत्र खीमा जाति राजपूत

निवासी सिणली

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

47.राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक

तहसीलदार

पचपदरा, जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री जोगाराम दमामी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 26/5/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रिकरलाई पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 366/249 क्षेत्रफल 7.3895 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रिकरलाई पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 366/249 क्षेत्रफल 7.3895 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रिकरलाई पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 366/249 क्षेत्रफल 7.3895 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रिकरलाई पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 366/249 क्षेत्रफल 7.3895 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रिकरलाई पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 366/249 क्षेत्रफल 7.3895 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-**धारा 128 सीमा विवाद**-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.7.2024 की छायाप्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5 .उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रिकरलाई पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 366/249 क्षेत्रफल 7.3895 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

26/05/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा